केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001

फोनः 23353503 फैक्सः 23753923

याचिका सं. 99/टीएल/2021 दिनांकः 6.6.2021

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

बीकानेर-II भिवाड़ी ट्रांस्को लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉट सं.2, सैक्टर-29, गुड़गांव-122001, हरियाणा द्वारा निम्नलिखित घटकों को सम्मिलित करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और रखरखाव (बीओओएम) आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में उल्लिखित) पर "फेस-II-भाग च के अधीन राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 जीडब्ल्यू) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना" के लिए पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उप–धारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है:

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	420 किलोवाट (2x125 एमवीएआर) बस रिएक्टर के साथ बीकानेर-II पीएस पर 400 किलोवाट स्विचिंग स्टेशन की स्थापना 400 किलोवाट लाईन बे - 4 संख्या 125 एमवीएआर, 420 किलोवाट बस रिएक्टर - 2 संख्या 400 किलोवाट बस रिएक्टर बे - 2 संख्या बीकानेर-II - खेत्री 400 किलोवाट 2xडी/सी लाईन के बीकानेर-II अंत पर प्रत्येक सर्किट पर 400 किलोवाट, 80एमवीएआर लाईन रिएक्टर - 4 संख्या 400 किलोवाट स्विचेबल लाईन रिएक्टर के लिए स्विचिंग उपस्कर - 4 संख्या भावी प्रावधानः बे के साथ 400/220 किलोवाट आईसीटी के लिए स्थान - 10 संख्या 400 किलोवाट लाईन बे - 6 संख्या 220 किलोवाट लाईन बे - 16 संख्या बे के साथ 420 किलोवाट रिएक्टर - 2 संख्या 400 किलोवाट और 220 किलोवाट पर उपयुक्त बस सेक्शनलाईजर	प्रभावी तारीख या जून 2022, जो भी बाद में हो, से 18 मास
2.	बीकानेर-II पीएस- खेत्री 400 किलोवाट 2xडी/सी लाईन (एम/सी टावर पर ट्विन एचटीएलएस*)	
3.	बीकानेर-II - खेत्री 400 किलोवाट 2xडी/सी लाईन के अंत के खेत्री अंत पर प्रत्येक सर्किट पर 1x80 एमवीएआर स्थाई लाईन रिएक्टर - 4 संख्या	
4.	बीकानेर-II पीएस - खेत्री 400 किलोवाट 2xडी/सी लाईन के लिए खेत्री पर 400 किलोवाट लाईन बे की 4 संख्या	
5.	खेत्री - भिवाड़ी 400 किलोवाट डी/सी लाईन (ट्विन एचटीएलएस*)	
6.	खेत्री - भिवाड़ी 400 किलोवाट डी/सी लाईन के लिए खेत्री पर 400 किलोवाट लाईन बे की 2 संख्या	
7.	खेत्री - भिवाड़ी 400 किलोवाट डी/सी लाईन के लिए भिवाड़ी पर 400 किलोवाट (जीआईएस) की 2 संख्या	
8.	बीकानेर-II एस/एस ± 300 एमवीएआर, 2 x125 एमवीएआर एमएससी, 1 x125 एमवीएआर एमएसआर पर स्टैटकॉम	

*नॉमिनल वोल्टता पर प्रत्येक सर्किट पर 2100 एमवीए की न्यूनतम क्षमता के साथ

2. आवेदक का चयन अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पीएफसी कंसलटिंग लिमिटेड द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर रुपए 1404.86 मिलियन प्रति वर्ष के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों के साथ पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में किया गया है।

3. केन्द्रीय पारेषण कंपनी ने प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना करने के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु सिफारिश की है।

4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर आयोग ने याचिका संख्या 99/टीएल/2021 में दिनांक 5.6.2021 के आदेश द्वारा ऊपर पैरा 1 में यथा उल्लिखित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

5. बीकानेर-II भिवाड़ी ट्रांस्को लिमिटेड को अंतर–राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए आवेदन और इसके संलग्नकों और अनुलग्नकों की प्रति वेबसाइट **www.powergrid.in** से प्राप्त की जा सकती है या निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित की जा सकती है।

6. अधिनियम की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदक, यथोपरोक्त, को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के आयोग के प्रस्ताव के प्रति सुझाव या आपत्तियाँ, यदि कोई हो, ऊपर दिए गए पते पर दिनांक 25.6.2021 तक अधोहस्ताक्षरी को भेजे जा सकते हैं। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. आयोग द्वारा आवेदन पर आगे की सुनवाई के लिए सही अनुक्रम में विचार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो अपने सुझाव या आपत्तियाँ दर्ज करता है, अपने विवेक से सुनवाई में सम्मिलित हो सकता है, जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(सनोज कुमार झा)
सचिव